बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना

(बिहार राज्य बागवानी मिशन)

बैरक संख्या – 13, मुख्य सचिवालय परिसर, पटना–800015, फोन नं॰ + फैक्स : 0612-2215215, E-mail : dir-bhds-bih@nic.in

–: वर्ष 2013–14 के लिए प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रण :–

बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना को राज्य के 23 जिलों के 360 प्रखंडो में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम एवं 15 जिलों के 174 प्रखंडों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन हेतु बागवानी क्षेत्र सलाहकारों की आवश्यकता है। इन बागवानी क्षेत्र सलाहकारों का नियोजन नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जायेगा।

1. **प्लेसमेंट एजेन्सी के चयन हेतु तकनीकी योग्यता/शर्तें :–**

i. सेवा प्रदाता एजेंसी कम्पनी एक्ट 1956 के अधीन पंजीकृत हो तथा एजेंसी का पंजीकृत कार्यालय बिहार में अनिवार्य रुप से अवस्थित हो।
ii. लगातार 3 वर्षों से प्लेसमेंट एजेन्सी की तरह 1000 व्यक्ति से अधिक का नियोजन से संबंधित कार्य किया गया हो (प्रमाण सहित)।
iii. गत 3 वर्षों का टर्न ओभर न्युनतम ₹50 लाख प्रति वर्ष हो।
iv. सेवा प्रदायी एजेन्सी भविष्यनिधि विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सेवा कर, आय कर (भारत सरकार) सहित अन्य अनुज्ञप्ति पत्र से युक्त हो।
v. एजेन्सी देश के किसी हिस्से में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो तथा जिनकी सेवा पूर्व मे किये गये करारों में संतोषप्रद रही हो (शपथ पत्र संलग्न करना होगा)।
vi. चयनित सेवा प्रदाता एजेन्सी को मो॰ ₹5.00 लाख रुपये मात्र की बैंक गारण्टी देनी होगी एवं कार्य नहीं कर सकने के स्थिति में यह राशि जप्त कर ली जायेगी।
vii. चयनित सेवा प्रदाता एजेन्सी का कार्यकाल एक वर्ष का होगा जिसे संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अवधि विस्तार दिया जा सकता है।
viii. एजेन्सी का तकनीकी निविदा प्रस्ताव के साथ मो॰ ₹50,000/– (पचास हजार) रुपये मात्र का सुरक्षित जमा राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट मिशन निदेशक, बिहार हॉर्टीकल्चर डेभलपमेंट सोसाईटी, पटना के नाम से संलग्न करना होगा। सुरक्षित जमा राशि के बगैर प्राप्त निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। असफल निविदादाताओं का ₹50,000/– (पचास हजार) का सुरक्षित जमा राशि वापस कर दी जायेगी।

2. **एजेन्सी का वित्तीय ऑफर :–**

राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कार्यरत बागवानी क्षेत्र सलाहकारों के मानदेय को ₹8000/– प्रति माह से बढ़ाकर ₹15000/– प्रति माह किया गया है। मानदेय में वृद्धि के फलस्वरुप आउटसोर्सिंग एजेंसी के चार्जेज में वृद्धि नहीं की जायेगी बल्कि बढ़ी हुई राशि ₹7000/– का शत–प्रतिशत भुगतान क्षेत्र सलाहकारों को किया जायेगा तथा पूर्व निर्धारित दर ₹8000/– के आधार पर हीं सेवा प्रदाता द्वारा सेवा कर आदि की कटौति करने की शर्त के अधीन हीं बिहार हॉर्टीकल्चर डेभलपमेंट सोसाईटी के द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी से एकरारनामा किया जायेगा।

उपरोक्त निर्णयानुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम में कृषि स्नातक/स्नातकोत्तर (वनस्पति विज्ञान) बागवानी क्षेत्र सलाहकार के लिए निर्धारित मानदेय ₹8000/– प्रति माह में से उन्हें कितना भुगतान करेगा उसका पूर्ण विवरण यथा सेवा प्रदाता का हिस्सा, विभिन्न टैक्स मदों में किए जाने वाले भुगतान के प्रतिशत को स्पष्ट रुप से अंकित करना होगा तथा उसे मुहरबंद लिफाफे में जिसके उपर भुगतान प्रस्ताव लिखा हो, के माध्यम से ऑफर देना होगा।

सेवा शुल्क	सेवा कर	बीमा एवं अन्य वैधानिक शुल्क	कोई अन्य शुल्क/प्रभार	बागवानी क्षेत्र सलाहकार को कुल देय राशि

3. **निविदा की शर्तें :–**

i. प्लेसमेंट एजेन्सी अपनी निविदा दो भागों में समर्पित करेगी। निविदा का पहला भाग तकनीकी योग्यता एवं चयन शर्त पर 'कंडिका 1' आधारित होगा जिसमें एजेन्सी का पूर्ण विवरण, क्षमता एवं सक्षमता का होगा।
ii. निविदा भाग दो एजेन्सी का वित्तीय ऑफर 'कंडिका 2' के अनुरुप होगा जिसमें एजेन्सी, बागवानी क्षेत्र सलाहकारों को प्रतिमाह मो॰ ₹8000/– में से वैधानिक दायित्वों टैक्स आदि को काटकर दिये जाने वाली राशि का उल्लेख करेगी।
iii. वित्तीय प्रस्ताव मात्र वैसे हीं एजेंसियों के खोले जायेंगे, जो तकनीकी रुप से उपयुक्त पाये जायेंगे।
iv. अन्य शर्तें यदि कोई होगी तो उसे निविदा खोलने के समय घोषित की जा सकती है।

FC ADVT.

www.horticulture.bih.nic.in

v. निविदाएँ दो अलग–अलग लिफाफों में दिये जायेगें। पहले लिफाफे में निविदादाता की तकनीकी पृष्ठ भूमि तथा दूसरे लिफाफे में दर का उल्लेख रहेगा। पहले लिफाफे के उपर ''तकनीकी प्रस्ताव'' एवं दूसरे लिफाफे के उपर ''वित्तीय प्रस्ताव'' अंकित कर उन्हे एक बड़े लिफाफे में बंद कर भेजा जायेगा।

4. <u>बागवानी क्षेत्र सलाहकार की पात्रता :–</u>

i. स्नातक, कृषि / स्नातक, उद्यान / स्नातक, कृषि अभियंत्रण / स्नातकोत्तर (वनस्पति विज्ञान) की उपाधि प्राप्त हो।

ii. कम्प्युटर की जानकारी रखतें हों। D.C.A योग्यता वांछनीय होगी।

iii. आयु सीमा दिनांक 01.01.2013 को बिहार सरकार के कोटिवार निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक नहीं हो। राज्य बागवानी मिशन में पूर्व में कार्यरत सक्षम कृषि / बागवानी स्नातकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

iv. राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत निर्धारित मानदेय मो॰ ₹8000 / – मात्र है एवं राज्य सरकार के निर्णयानुसार मो॰ ₹7000 / – अतिरिक्त देय होगा। इस प्रकार कुल मानदेय मो॰ ₹15000 / – मात्र होगा।

v. अनुबंध अवधि एक वर्ष की होगी।

vi. चयनित बागवानी क्षेत्र सलाहकार जिला उद्यान पदाधिकारी के अधीन योगदान कर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का सम्पादन करेंगे।

vii. बागवानी क्षेत्र सलाहकारों का कार्य अगर असंतोषजनक होगा तो बिना सूचना के ही उनकी सेवा वापस कर दी जायेगी।

बागवानी क्षेत्र सलाहकारों की सेवा भाड़े पर उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक सेवा प्रदाता एजेंसियों से निविदा दिनांक 04.03.2013 को अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन दिनांक 04.03.2013 को अपराह्न 04.30 बजे खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र **मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना का कार्यालय बैरक संख्या– 13, मुख्य सचिवालय परिसर, पटना–800015** को हाथोंहाथ या निबंधित डाक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित तिथि तक समर्पित किया जा सकता है।

बिहार हॉर्टीकल्चर डेभलपमेंट सोसाईटी, पटना को बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

निविदा www.horticulture.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मिशन निदेशक,
बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना।

www.horticulture.bih.nic.in